



(4) आयोग ०१.०१.२०२४ को १८ बाबा तो २५ बाबा । आयोग संसद में कहाँ पहुँच नहीं ही जायगी।

(vii) अनुमति का दिन 01.04.2021 का है जबकि इसके बाद से उपलब्धियों की मान्य अवधि: अधिकारी की पात्रता की वृद्धि से दर्शान और धिलें दो वित्त वर्षों की खोलकृत उपलब्धियों पर ही धिलार किया जाएगा अतः 01.04.2021 की या उसके बाद की संख्याएँ दर्शायेगी। यह आम दर्शा है।

(6) आयोग की कैफीत के बाद लाइन आयोग ने हमें लिंक प्रौद्योगिक रेलवे की वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) पर अपलोड किया। अपर्याप्ती को ऑनलाइन आयोग पर भरने से पूर्व रोजगार सूचना में दिए गए सभी अनुशंसा को साकारात्मक पद्धति द्वारा शाहिद है। ऑनलाइन आयोग करते समय चेकिंग पर दी गयी उम्मीद प्रतिक्रिया को अनुसार दिया जाता शाहिद है। सभी अधिकारी द्वारा साकारात्मक पूर्वी भरे जाने शाहिद हैं। अपर्याप्ती आयोग करते समय अदान को दिया गया एवं उसका दावा करते समय की दृष्टि प्रतिक्रिया अपर्याप्त करे।

#### (१) परीक्षा शाल्कः

अज्ञा, अज्ञाता, भूपू, स्ट्रिक, विकलाग, महिला, अगरसारणी और आविष्कर स्पृष्टि से शिथोड़े दर्श के अभ्यर्थियों हैं।	₹. 250	द्रायल में बास्टरिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों को ₹. 250 वापस कर दिया जायगा।
अन्य सभी अभ्यर्थियों हेतु	₹. 500	द्रायल में बास्टरिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों को ₹. 400 वापस कर दिया जायगा।

अनेलाइन अवैदन के बोरोज पर दिये गये नियमों का अनुसार नियरित परीक्षा स्कूल जगा दिया जाएगा ताकि नियरित परीक्षा शुरू जगा करने के उपराना अग्रीयी पुनर्लैटेन कर अपने अवैदन विधि की एक प्रतीकार्यी है। इन्हें करने से (a) भारी प्रक्रिया खेलकूद द्वारा घट, खेलकूद एवं लैंडिंग उपलब्धियों के मूल्यांकन के अन्तर्गत यह अवैदन विधि की जायगी। (b) गर्भी की सामान्यता<sup>2</sup>: (i) आवैदन करने के पूर्व अध्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह सभी योग्यता शर्तों को पूरा करता है / करती है। (ii) किन्तु खेल / साप्ती में सोना या विशेष सोनीयां आवैदन प्रक्रिया पर दिये गये उत्तरान में अवधारणा है। (iii) आवैदन करने की जिस वार्षिक शर्तिक अध्ययन खेलकूद उपलब्धियों पर विचार नहीं किया जायेगा। (iv) मगल शून्यता विवेद अवैदन विधि को पूर्णता का प्रयोग करने पर अध्यर्थी को अशोध्य करार दिया जायेगा। एवं उसके दिल्लू विशिष्ट कार्यवाई को जायगी। विद्यकर्ता हांगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह की पृष्ठावाप या विवाद-विवरण पर विचार नहीं किया जायगा। (3) भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की चोट होते के लिए रेलवे भर्ती सेवा उपचारादार नहीं होगा। (4) इस राज्याधीन सूचना से सम्बन्धित किसी प्रकार के विधिक मामले न सुनवाई का हासिलिंगर करनीय प्रशासनिक अधिकारण, इलाजकार द्वारा। (5) यह रोजगार सूचना पूर्वान्तर रेलवे की विवाहादार पर उपतंड है। अग्रीयों को इस सम्बन्ध में अवैदन जानकारी है। पूर्वान्तर रेलवे की विवाहादार [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) की नियमित स्पष्ट से देखते रहने की जालाई दी जायगी।

अच्युता

रेलवे गती सेल, पुर्वोत्तर रेलवे, गोरक्षपत्र